न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी — सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या	206/2024	सी.सी.एम.एस. नम्बर	2024/212
दायर दिनांक	25.09.2024	निर्णय दिनांक	[illegible]

1. गाजीखां पुत्र सककखां जाति मुसलमान निवासी कालूखां की ढाणी तह. बाप जिला फलोदी

प्रार्थी

बनाम

1. मीरमोहम्मद पुत्र सककखां जाति मुसलमान नि. कालूखां की ढाणी तह. बाप जिला फलोदी
2. अम्मी बाई पुत्री मगाराम जाति मेघवाल निवासी कालूखां की ढाणी तह. बाप जिला फलोदी
3. चेनाराम पुत्र मगाराम जाति मेघवाल निवासी कालूखां की ढाणी तह. बाप जिला फलोदी
4. तीजादेवी पत्नी मगाराम जाति मेघवाल निवासी कालूखां की ढाणी तह. बाप जिला फलोदी
5. पूनाराम पुत्र मगाराम जाति मेघवाल निवासी कालूखां की ढाणी तह. बाप जिला फलोदी
6. प्रेमी पुत्री मगाराम जाति मेघवाल निवासी कालूखां की ढाणी तह. बाप जिला फलोदी
7. पार्वती पुत्री मगाराम जाति मेघवाल निवासी कालूखां की ढाणी तह. बाप जिला फलोदी
8. मनसुखराम पुत्र मगाराम जाति मेघवाल निवासी कालूखां की ढाणी तह. बाप जिला फलोदी
9. मिसरीराम पुत्र मगाराम जाति मेघवाल निवासी कालूखां की ढाणी तह. बाप जिला फलोदी
10. लीसुराम पुत्र मगाराम जाति मेघवाल निवासी कालूखां की ढाणी तह. बाप जिला फलोदी
11. सुनीता पुत्री मगाराम जाति मेघवाल निवासी कालूखां की ढाणी तह. बाप जिला फलोदी
12. समदा पत्नी मगाराम जाति मेघवाल निवासी कालूखां की ढाणी तह. बाप जिला फलोदी
13. हीराराम पुत्र मगाराम जाति मेघवाल निवासी कालूखां की ढाणी तह. बाप जिला फलोदी
14. आयषा पत्नी तालबखां जाति मुसलमान निवासी कालूखां की ढाणी तह. बाप जिला फलोदी
15. ईसमाइल पुत्र जीया जाति मुसलमान निवासी कालूखां की ढाणी तह. बाप जिला फलोदी
16. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :— 1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 191/3 रकबा 6.6045 हैक्टेयर ग्राम कालूखां की ढाणी पटवार हल्का नुरे की बुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी (राज.) की सरहद में स्थित है। जमाबन्दी व राजस्व भू–नक्शा की वर्तमान प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त खसरा के पैमाईश आवेदन पर तहसीलदार बाप द्वारा जारी आदेश कमांक संख्या 18 दिनांक 29.01.2024 की पालना में दिनांक 28.06.2024 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पहुंच कर प्रार्थी व पडोसी खातेदारों की उपस्थिति में उक्त भूमि की पैमाईश करनी शुरू की उस समय पड़ोसी खातेदारों ने विवाद किया इसलिए विवाद की स्थिति में पैमाईश नहीं की जा सकी। पटवारी हल्का ने उक्त पैमाईश फर्द नियमानुसार तहसील कार्यालय में जमा करवा दी। प्रार्थी अपनी खातेदारी की उक्त भूमि में बरसात के मौसम में काश्त करता है तब उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की गई काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है और प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये प्रार्थी उपरोक्त वर्णित भूमि की पैमाईश टीम

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

गठित की जाकर उक्त पैमाईश फर्द अनुसार प्रार्थी अपनी हद में पत्थरगढी करवाना चाहता है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 16 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 15 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कालूखां की ढाणी पटवार हल्का नुरे की भुर्ज तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 191/3 रकबा 6.6045 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि की पैमाईश टीम गठित की जाकर पुनः पैमाईश कर पैमाईश अनुसार प्रार्थी की हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कालूखां की ढाणी पटवार हल्का नुरे की भुर्ज तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 191/3 रकबा 6.6045 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थर गढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए प्रार्थी पैमाईश टीम गठित करवाकर पुनः पैमाईश अनुसार पत्थरगढी करवाने के हकदार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम कालूखां की ढाणी पटवार हल्का नुरे की भुर्ज तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 191/3 रकबा 6.6045 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश टीम गठित कर पुनः पैमाईश अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार बाप उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थरगढी करवावे। अगर आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09/04

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)